न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 139 / 2016

तारीख रजू:– 02.12.2016

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

म पंचायत शेखपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शेखपुरा

वादी

बनाम

सीलदार टोडाभीम जिला करौली

प्रतिवादी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती ट्रेस व रिकार्ड

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:– 19.02.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा गत ख0न0 1719 / 1 / 1 रकवा 3 बीधा 17 बिस्वा की किस्म गै0मु0आबादी दर्ज रिकार्ड भू–प्रबन्ध से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2038–40 तक यह भूमि निवास व बास बादी गै0मु0 आबादी दर्ज है तथा गत ट्रेस मे भी इस आवादी भूमि को दर्शाया गया है। राने भू प्रबन्ध विभाग ने ख0न0 1719 / 1 / 1 का हाल ख0न0 1928 / 2762 रकवा 0.97 है0 ायम किया है। तथा किस्म चरनौट दर्ज कर दी है। भू प्रबन्ध विभाग की यह एक क्लेरीकल स्टेक है। तथा किस्म चरनौट की जगह आबादी दर्ज होनी चाहिये थी यह कार्यवाही खलाफ मौका व रिकार्ड के विपरित है। गत ख0न0 1719 / 1 / 1 मे इस समय करीब 60 घर ो आबादी है तथा रिहायश हो रही है। जिसमे अधिकतर जाटव अनुसूचित जाति के सदस्य तथ तीन मीना अनुसूचित जन जाति के सदस्य है इस भूमि मे सन 1972 से ही आबादी हो ही है जो पिछले 50 साल से है तथा आज भी यह भूमि आबादी के काम आ रही है। ग्राम चायत शेखपुरा ने इस भूमि के पट्टे भी जारी किये है।

वादी ग्राम पंचायत को इस भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियो ने शिकायत की कि पटवारी हल्का व तहसीलदार हमको बेदखल करने की धमकी दे रहे है और कह रहे है कि तुम लोग जिस जमीन पर बसे हुये है यह जमीन किस्म चरनौट है तुम्हे खाली करनी पडेगी इसके बाद सरपंच ग्राम पंचायत शेखपुरा ने तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 29.11.2016 को निवेदन किया कि आबादी की भूमि है इसमे रिहायश हो रही है भूप्रबन्ध विभाग की गलती से किस्म चरनोट दर्ज हो गई है आप इसे दुरूस्त कर दो इस पर उन्होने कहा कि सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत करो तभी तुम्हारी रिकार्ड मे दरूस्ती हो सकती है। इसलिये यह दुरूस्ती दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत इन्द्राज दुरूस्ती रिकार्ड जमाबन्दी व ट्रेस डिक्री
या जाकर भूमि हाल ख0न0 1928/2762 रकवा 0.97 है0 की किस्म चरनौट के स्थान पर
बादी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान
या जावे कि वे हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व ट्रेस मे उपरोक्तानुसार अमल दरामद करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी
कार सरकार ने जबाब पेश किया कि ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2030–33 मे
बिक ख0न0 1719/1 रकवा 77.06 बीघा किस्म चरनौट रिकार्ड दर्ज है। जमाबन्दी चौसाला
वत 2030–33 मे जरिये नामांतकरण स0 205 दिनांक 27.12.1974 के द्वारा ख0न0 1719/1
से ख0न0 1719/1/2 रकवा 2.06 बीघा भूमि चरागाह मे से आबादी मे परिवर्तन हुई व
ना0स0 444 दिनांक 31.1.1977 के द्वारा ख0न0 1719/1 मिन रकवा 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि
गाह मे से आबादी भूमि मे परिवर्तित हुई है। नवीन चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2034–37
बनाते समय जमाबन्दी सम्वत 2030–33 मे आवंटित भूमि ख0न0 1719/1/2 व 1719/1
कुल रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा का नवीन ख0न0 1719/1/2 रकवा 3 बीघा 17
वा गै0मु0 आबादी बनाया गया जो दर्ज रिकार्ड है।

चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2038–41 मे ख0न0 1719/1 रकवा 73 बीघा 9 बिस्वा
स्म चरागाह मे से जरिये नामा न0 599 दिनांक 29.02.1984 द्वारा ख0न0 1719/1/4
वा 8 बीघा भूमि आबादी मे दर्ज की गई व नामांतकरण स0 615 दिनांक 13.12.1984 से
न0 1719/1/3 रकवा 6 बीघा राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय शेखपुरा को आवंटित
गई जो दर्ज रिकार्ड है।

साबिक ख0न0 1719/1 रकवा 59.09 बीघा किस्म चरागाह ख0न0 1719/1/2
वा 3 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0आबादी ख0न0 1719/1/3 रकवा 6 बीघा राजकीय
च्च प्राथमिक विधालय शेखपुरा तथा ख0न0 1719/1/4 रकवा 8 बीघा भूमि आबादी मे दर्ज
गई है। उक्त ख0न0 का मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार नवीन
न0 बनाये गये।

साबिक रिकार्ड अनुसार नवीन रिकार्ड सही बनाया गया है, हाल ख0न0
28/2762 रकवा 1.00 है0 किस्म चरागाह भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0न0
19/1/1 किस्म चरनोट से बनाया गया है जो सही है। तथा साबिक ख0न0 1719/1/2
कवा 3 बीघा 17 बिस्वा किस्म गै0मु0आबादी के नवीन खसरा न0 332/0.05, 333/0.05,
24/2873/0.43, 1925/0.44 कुल किता 4 कुल रकवा 0.97 है0 सही बनाये गये है।
जिसमे सम्पूर्ण रकवे पर आबादी बसी हुई है। अतः दावा खारिज योग्य है।

जबाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात वादी वकील द्वारा सीधे ही बहस करने का
कथन किया। वादी वकील द्वारा बहस हेतु पर्याप्त समय लिये जाने के पश्चात अपनी बहस मे
वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम शेखपुरा की आराजी साबिक
ख0न0 1719/1/1 से नवीन कायम किये ख0न0 1928/2762 रकवा 0.97 है0 कायम कर
भूमि की किस्म चरनोट दर्ज कर दी है जो गलत है, चरनोट के स्थान पर भूमि की किस्म
गै0मु0आबादी दर्ज होनी चाहिये थी। भूमि पर आबादी बसी हुई है। अतः दावा डिकी किया
जाकर भूमि की किस्म चरनोट के स्थान पर गै0मु0 आबादी दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि साबिक ख0न0 1719/1/1
मिन. रकवा 59 बीघा 9 बिस्वा से हाल ख0न0 अन्य खसरा नम्बर 1919, 1920, 1921, 1922,

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

FOR COPYING FEES ONLY

1924, 1998, व 1928/2762 किता 7 रकवा 14.86 है0 बने है जो साबिक रिकार्ड मे चारागाह थे और वर्तमान मे भी चरागाह है। वादी द्वारा अपने वादपत्र मे रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा का जो उल्लेख किया है वह 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि वास्तव मे साबिक ख0न0 1719/1/2 से बनी है जिसके वर्तमान ख0न0 332/0.05, 333/0.05, 1924/2873/0.43, 1925/0.44 कुल किता 4 कुल रकवा 0.97 है0 जो वर्तमान रिकार्ड मे भी आबादी है ओर साबिक रिकार्ड मे भी आबादी थी। वादी द्वारा गलत तथ्य पेश कर वादपत्र प्रस्तुत किया है अतः वादी का दावा खारिज किया जावे।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी ग्राम शेखपुरा सम्वत 2038–41 मे खाता सख्या 1 मे ख0न0 1719/1/2 रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा गै0मु0 आबादी दर्ज है, मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 साबिक ख0न0 1719/1/2 रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा से नवीन ख0न0 332/0.05, 333/0.05, 1924/2873/0.43, 1925/0.44 कुल किता 4 कुल रकवा 0.97 है0 बने है। और साबिक ख0न0 1719/1/1 मिन. रकवा 59 बीघा 9 बिस्वा से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 नवीन ख0न0 1919/3.83, 1920/1.90, 1921/4.99, 1922/1.15, 1924/1.32, 1998/1.20, 1928/2762/1.00 है0 बने है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक ख0न0 1719/1/1 मिन. रकवा 59 बीघा 09 बिस्वा से हाल ख0न0 1928/2762/0.97 है0 बनना तो साबित है, परन्तु हाल ख0न0 1928/2762 साबिक रिकार्ड मे भी चरागाह दर्ज था व हाल रिकार्ड मे भी चरागाह दर्ज है। अतः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रिकार्ड बनामे समय कोई त्रुटी नही हुई है। वादी ग्राम पंचायत शेखपुरा जिस 3 बीघा 17 बिस्वा का वादपत्र मे उल्लेख कर रही है वह साबिक ख0न0 1719/1/2 रकवा 3 बीघा 17 बिस्वा की भूमि थी जो सेटलमेन्ट से पूर्व आबादी दर्ज थी व नये ख.0न0 332/0.05, 333/0.05, 1924/2873/0.43, 1925/0.44 कुल किता 4 कुल रकवा 0.97 है0 मे भी आबादी दर्ज है। इस प्रकार वादी का दावा दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत के अभाव मे स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादी का दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती ट्रेस व रिकार्ड साक्ष्य सबूत के अभाव मे खारिज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीणा)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली